

प्रेषक,

सचिव,
नगरपालिका रानियां।

सेवा में,

अतिरिक्त उपायुक्त महोदय,
सिरसा।

क्रमांक:-MCR/2026/697

दिनांक:-09/03/26

विषय:- लाडो लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन के सत्यापन हेतु दिनांक 14.03.2026 व 15.03.2026 को आयोजित एरिया सभा की बैठक बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आप महोदय को अनुरोध सहित अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा नगरपालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नगरपालिका रानियां द्वारा एरिया सभाओं का गठन किया गया है। जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन के सत्यापन हेतु नगरपालिका रानियां द्वारा दिनांक 14.03.2026 को एरिया सभा 1 से 8 व दिनांक 15.03.2026 को 9 से 15 एरिया सभाओं की बैठक कार्यालय नगरपालिका रानियां में आयोजित की जा रही है। उक्त बैठक में पात्र लाभार्थियों की पहचान, अभिलेखों की जांच एवं आवश्यक पूष्टि का कार्य किया जाएगा ताकि योजना का लाभ वास्तविक एवं पात्र व्यक्तियों को दिया जा सके। आप महोदय से अनुरोध है कि उक्त बैठक की सूचना संज्ञान में लेते हुए सम्बन्धित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।


सचिव,
नगरपालिका रानियां।

पृ० क्रमांक:-MCR/2026/698-702 दिनांक:-09/03/26

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निदेशक महोदय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पंचकुला।
2. उपायुक्त महोदय, सिरसा।
3. जिला नगर आयुक्त महोदय, सिरसा।
4. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सिरसा।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिरसा।


सचिव,
नगरपालिका रानियां।

प्रेषक,

सचिव,
नगरपालिका रानियां।

सेवा में,

1. श्री मनोज सचदेवा, प्रधान, नगरपालिका रानियां।
2. श्री रमेश कुमार, उप-प्रधान, वार्ड नं0 9, नगरपालिका रानियां।
3. श्रीमति अनीता बाई, पार्षद, वार्ड नं0 1, नगरपालिका रानियां।
4. श्रीमति सुरेश्या, पार्षद, वार्ड नं0 2, नगरपालिका रानियां।
5. श्रीमति रणजोत कौर, पार्षद, वार्ड नं0 3, नगरपालिका रानियां।
6. श्रीमति पुष्पा शर्मा, पार्षद, वार्ड नं0 4, नगरपालिका रानियां।
7. श्रीमति मोनिका राजरा, पार्षद, वार्ड नं0 5, नगरपालिका रानियां।
8. श्री पवन कुमार, पार्षद, वार्ड नं0 6, नगरपालिका रानियां।
9. श्री बलजीत सिंह, पार्षद, वार्ड नं0 7, नगरपालिका रानियां।
10. श्री जगदीश सिंह, पार्षद, वार्ड नं0 8, नगरपालिका रानियां।
11. श्री गुरदीप सिंह, पार्षद, वार्ड नं0 10, नगरपालिका रानियां।
12. श्री वीरेन्द्र सिंह, पार्षद, वार्ड नं0 11, नगरपालिका रानियां।
13. श्री सुखविन्द्र सिंह, पार्षद, वार्ड नं0 12, नगरपालिका रानियां।
14. श्री हरिन्द्र सिंह चीमा, पार्षद, वार्ड नं0 13, नगरपालिका रानियां।
15. श्री मलकीत सिंह, पार्षद, वार्ड नं0 14, नगरपालिका रानियां।
16. श्रीमति प्रभजोत कौर, पार्षद, वार्ड नं0 15, नगरपालिका रानियां।
17. श्री राज कुमार, मनोनीत पार्षद, नगरपालिका रानियां।
18. श्री प्रहलाद चन्द, मनोनीत पार्षद, नगरपालिका रानियां।

कमांक:-MCR/2026/703-20

दिनांक:-09/03/26

विषय:-

हरियाणा नगरपालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के सन्दर्भ में एरिया सभाओं की बैठक बारे।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पंचकुला के पत्र कमांक 1ई/2026/233 दिनांक 05.01.2026 व पत्र कमांक DULB/IAE/2026/2991 दिनांक 05.03.2026 के सन्दर्भ में।

सन्दर्भित विषय पर आपको अनुरोध सहित भेजकर अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा नगरपालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के सन्दर्भ में नगरपालिका रानियां द्वारा एरिया सभाओं का गठन किया गया है। जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन के सत्यापन हेतु नगरपालिका रानियां द्वारा दिनांक 14.03.2026 को एरिया सभा 1 से 8 व दिनांक 15.03.2026 को 9 से 15 एरिया सभाओं की बैठक कार्यालय नगरपालिका रानियां में आयोजित की जा रही है। उक्त बैठक में पात्र लाभार्थियों की पहचान, अभिलेखों की जांच एवं आवश्यक पुष्टि का कार्य किया जाएगा ताकि योजना का लाभ वास्तविक एवं पात्र व्यक्तियों को दिया जा सके। आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक की सूचना संज्ञान में लेते हुए अपने वार्डों से अधिक से अधिक वोटर्स/एरिया सभा सदस्यों को निर्धारित स्थान व समय पर बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करने व आप स्वयं उपस्थित होने का कष्ट करें।



सचिव,
नगरपालिका रानियां।

W



कार्यालय नगरपालिका रानियां (सिरसा)

(अधीनस्थ : शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकुला)

दूरभाष : 01698-297224

Email ID : secymcrania@gmail.com

सेवा में

1. प्रबंधक, दैनिक भास्कर रानिया।
2. प्रबंधक, अमर उजाला रानिया।

क्रमांक: MCR/2026/842-43 दिनांक: 11/03/2026

विषय:- सार्वजनिक सूचना छापने बारे।

साथ संलग्न सूचना केवल हिसार डिवीजन/जोन में सरकारी दर पर छपवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- सार्वजनिक सूचना


सचिव
नगरपालिका रानिया

कार्यालय नगरपालिका रानियां जिला सिरसा

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशो अनुसार कार्यालय नगरपालिका रानियां में एरिया सभा दिनांक 14.03.2026(शनिवार) को वार्ड सं0 01 से 08 व 15.03.2026(रविवार) को वार्ड सं0 09 से 15 प्रातः 10:00 से साय 05:00 तक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, बुढापा पेंशन व विधवा पेंशन के पात्रो के सत्यापन हेतु आयोजित की जानी है। अतः आम जन को सूचित किया जाता है कि उक्त लिखित दिनांक व समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर योजनाओ का सत्यापन करवाए ताकि अधिक से अधिक पात्रो के लाभ मिल सकें व हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशो की पालना हो सकें।


सचिव
नगरपालिका रानियां

नगर पालिका रानियां (सिरसा)

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजैण्डा का प्रारूप

पत्र क्रमांक:- MCR/2026/845

दिनांक 11-03-26

नगर पालिका रानियां के वार्ड न0 1 से 4 की एरिया सभा के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है, कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 14.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक एरिया सभा की बैठक कार्यालय नगरपालिका, रानियां में आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजैण्डा निम्न है:-

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजैण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित, तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव 
एरिया सभा संख्या 1 से 4
नगरपालिका रानियां।

नगर पालिका रानियां (सिरसा)

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

पत्र क्रमांक:- MCR/2026/846

दिनांक 11-03-26

नगर पालिका रानियां के वार्ड न0 5 से 8 की एरिया सभा के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है, कि हरियाणा नगर पालिका अधीनकारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 14.03.2026 को दोपहर 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक एरिया सभा की बैठक कार्यालय नगरपालिका, रानियां में आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेंडा निम्न है:-

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित, तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव

एरिया सभा संख्या 5 से 8
नगरपालिका रानियां।

नगर पालिका रानियां (सिरसा)

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजैण्डा का प्रारूप


पत्र क्रमांक:— MCR/2026/847

दिनांक 11-03-26

नगर पालिका रानियां के वार्ड न0 9 से 12 की एरिया सभा के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है, कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 15.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक एरिया सभा की बैठक कार्यालय नगरपालिका, रानियां में आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजैण्डा निम्न है:—

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजैण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित, तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव

एरिया सभा संख्या 9 से 12
नगरपालिका रानियां।

नगर पालिका रानियां (सिरसा)

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंड्या का प्रारूप


पत्र क्रमांक MCR/2026/848

दिनांक 11-03-26

नगर पालिका रानियां के वार्ड नं० 13 से 15 की एरिया सभा के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है, कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 15.03.2026 को दोपहर 02:00 बजे से सां० 05:00 बजे तक एरिया सभा की बैठक कार्यालय नगरपालिका, रानियां में आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेंड्या निम्न है:-

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दोन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंड्या।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित, तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।


सचिव

एरिया सभा संख्या 13 से 15
नगरपालिका रानियां।